भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 508

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर देने के लिए

श्रीलंका नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी

508. **श्री सुधीर गुप्ताः**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल ही में 14 भारतीय मुछआरों को गिरफ्तार किया गया था और उनके तीन ट्रोलर को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रीलंकाई सरकार ने विदेशी जहाजों पर कई गुना जुर्माना बढ़ाया है विशेषकर भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रोलर पर ताकि उन्हें विवादित जल क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने अपने कथित भारतीय मछुआरों को उनके संभार तंत्र सहित मुक्त करने के लिए श्रीलंकाई समकक्ष के साथ की कोई बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर श्रीलंकाई सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कई भारतीय मछुआरे अक्सर गलती से/अनजाने में पड़ोसी देशों विशेषकर श्रीलंका और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को पार कर जाते हैं और उनकी गश्त इकाइयों द्वारा अपने संभार तंत्र के साथ पकड़े जाते हैं और उनको छोड़े जाते समय उनका सामान वापस नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मछुआरों को भारी नुकसान होता है और वे अपनी आजीविका खो देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को कथित रूप से पार करने और डेल्फ़्त द्वीप के पास श्रीलंका के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 28 दिसंबर 2019 को श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ने की तीन नौकाओं सहित चौदह भारतीय मछुवारों को गिरफ्तार किया था।

(ग) जनवरी 2018 में, श्रीलंकाई संसद ने 1979 के मत्स्योद्योग (मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं के लिए विनियम) अधिनियम सं. 50 में संशोधन के लिए मत्स्योद्योग (मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं के लिए विनियम) संशोधन अधिनियम, 2018 पारित किया। इस संशोधन में श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में मछली पकड़ने के लिए नौकाओं की लंबाई के आधार पर मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाया गया है जो 4 से लेकर 220 मिलियन श्रीलंकाई रूपये तक है।

(घ) से (च) भारत सरकार भारतीय मछुवारों की सुरक्षा, हिफाज़त और कल्याण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करती है। भारत सरकार ने हमारे मछुवारों और उनकी नौकाओं को रिहा करने के मामले को श्रीलंका की सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है।

सतत राजनयिक प्रयासों से, सरकार ने मई 2014 से अब तक श्रीलंका की हिरासत से 2096 भारतीय मछुवारों और 381 मत्स्य नौकाओं को रिहा कराया है। इसमें 28 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार 14 मछुवारें शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्री गोटाबाया राजपक्षा ने हाल की अपनी भारत यात्रा के दौरान आश्वासन दिया कि श्रीलंका अपनी हिरासत से भारतीय मछुवारों की नौकाओं को रिहा करने के लिए कदम उठाएगा।

पाक खाड़ी से गहरे समुद्र में ट्रालफिशिंग के स्थान पर लॉन्ग लाइनिंग फिशिंग के लिए भारत सरकार की सहायता से तमिलनाडु सरकार द्वारा एक योजना के तहत प्रायोगिक आधार पर मछली पकड़ने की मोटर चालित नौकाओं में 507 ट्रान्स्पोंडर्स लगाए गए हैं। भारत सरकार की 'नील क्रांति: मत्स्योद्योग का एकीकृत विकास और प्रबंधन' संबंधी योजना के तहत, मछुवारों को सुरक्षा किट प्राप्त कराने में भी सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें जीपीएस, संचार उपकरण, ईको-साउंडर, लाइफजैकेट, लाइफबॉय, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिटर्स (डीएटी), जीवन रक्षक उपकरण (वीएचएफ़ रेडियोटेलीफोन), फिश फ़ाइंडर, बैकप बैटरी, खोज एवं बचाव बेकन आदि शामिल हैं।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, सरकार भारतीय मछुवारों के पकड़े जाने की रिपोर्टें प्राप्त होते ही तत्काल मामले को राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ उठाती है और उनको कोंसूली सहायता प्रदान करने तथा उनकी जल्द रिहाई एवं देश वापसी की मांग करती है। सरकार के लगातार प्रयासों से 2014 से अब तक पाकिस्तान की हिरासत से 2133 भारतीय कैदियों को रिहा कराने एवं देश वापस लाने में सफलता मिली है जिसमें मछुवारों सहित उनकी 57 नौकाएँ भी शामिल हैं। इसमें 6 जनवरी 2020 को 20 भारतीय मछुवारों की रिहाई एवं देश वापसी शामिल है। सरकार पाकिस्तान में कैद भारतीय कैदियों की सुरक्षा, सलामती और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी जल्द रिहाई एवं देश वापसी के लिए लगातार पाकिस्तान से कहती रहती है।

***